

12/5/16

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई (पत्रावली) थी अपलोडन किया गया जस्टिसी से। न केवल अपाव. एवं वस्तुद्विपति की रिपोर्टों को। जिन्हें सुटाविट राजकीय भूमिपर खातेदारी अधिकार नियमावली अंतर्गत निम्नन लेही-नियम है। अर्थात् द्वारा रकारिज पर भुगतान आये।

वाडी कसब परिपत्रबीज P-14 के अनुसार खातेदारी घोषणा प्रदान किया है जो अंतर्गत निम्नन से ही प्रकृत है। अर्थात् द्वारा पहले योग्य नहीं है। अर्थात् द्वारा वाडी रकारिज किया जाता है। पत्रावली के लाल प्रमाण हेतु नमूने के तौर पर।

(Signature)
उप सहाय अधिकारी
बरोटवा (उरीली)